न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 139/2016

1 प्रहलाद पुत्र ईश्वर उम्र 57 साल जाति कुम्हार निवासी ग्राम पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांटस

बनाम

1 मंजु पुत्री प्रहलाद उम्र 23 साल जाति कुम्हार
2 सुमन पुत्री प्रहलाद उम्र 21 साल जाति कुम्हार
3 गिरधारी पुत्र ईश्वर उम्र 48 साल जाति कुम्हार
4 श्रीमती भंवरी पत्नी ईश्वर उम्र 46 साल जाति कुम्हार
5 कुरड़ाराम पुत्र रूपाराम उम्र 81 साल जाति कुम्हार
6 बलबीर पुत्र प्रहलाद उम्र 31 साल जाति कुम्हार
7 कमला पुत्री प्रहलाद उम्र 29 साल जाति कुम्हार
8 श्रीमती गीता पत्नी भागीरथमल उम्र 51 साल जाति कुम्हार
9 श्रीमती सरोज कंवर पत्नी इन्द्रसिंह उम्र 50 साल जाति राजपूत समस्त निवासीगण ग्राम पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
10 उप पंजीयक लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
11 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. काश्तकारी अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर बइजलास श्री संतोष कुमार मीना आरएएस प्रकरण संख्या 89/2010 दावा उनवानी मंजू वगै. बनाम प्रहलाद वगै. दिनांकित 22.06.2016

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भू-प्रबन्ध • सीकर •

–निर्णय–

दिनांकः– 3/6/26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 89/2010 में पारित निर्णय दिनांक 22.06.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद उद्घोषणा, बंटवारा, दुरूस्ती खाता एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 194, 268, 270, 550, 552 वाके ग्राम पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने तर्क दिया कि अपीलाधीन वाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से जरिये प्राकृतिक माता सुखी उर्फ शान्ति देवी दिनांक 17.06.2010 को प्रस्तुत किया गया था। दावा दायरी के दिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की उम्र 17 साल तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की उम्र 15 साल दावे में अंकित की गई थी। इस प्रकार स्वीकृत रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 वाद के विचारण के दौरान नाबालिग होकर बालिग हो गये थे। परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 32 सीपीसी की कोई पालना नहीं की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन वाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से पैरवी जरिये संरक्षक ही जारी रखते हुए विधि के प्रावधानों के विपरित अपीलधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई, जो किसी भी दृष्टि में स्थिर रहने योग्य नहीं है। अपीलाधीन वाद में दिनांक 05.05.2016 को आगामी पेशी 19.07.2016

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

नियत की गई थी और उस तारीख पेशी को अपीलाधीन वाद में अपीलान्ट व रेस्पोडेनट संख्या 3 व 6 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत होना था तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 9 की तामील होनी थी, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा वाद में अपनायी जाने वाली समस्त प्रक्रियात्मक विधि को ताक में रखते हुए बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 9 की तामील करवाये बिना तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 6 की ओर से जवाब दावा लिये बिना अथवा जवाब दावा बंद किये बिना तथा पत्रावली में साक्ष्य लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पत्रावली में पूर्व ही निर्धारित तरीख पेशी दिनांक 19.07.2016 से ही पहले ही दिनांक 22.06.2016 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 कैम्प पाटोदा में पारित किया जाना अंकित किया है परन्तु निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व ही सुनवाई बाबत अपीलान्ट एवं उसके अधिवक्ता को सूचित नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष बंअवारे निमित भी अनुतोष चाहा गया था और बंटवारे के दावे में प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने का आज्ञापक कानूनी प्रावधन है। विचारण न्यायालय द्वारा बंटवारे के अनुतोष के बारे में कोई निर्णय पारित किये बिना ही सीधे ही अंतिम डिक्री जारी की गई है। इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। स्वीकृत रूप से विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 6 व 7 को खातेदार, काश्तकार घोषित किया गया है। उपरोक्त भूमियों के 1/6 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार अपीलान्ट है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के द्वारा उपरोक्त उद्‌घोषणा संबंधी अनुतोष अपीलाधीन वाद में वर्णित भूमियों को पैत्रिक भूमियां अभिकथित करते हुए चाही गयी है परन्तु इस निमित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से कोई न तो मौखिक साक्ष्य पेश की गयी है और न ही कोई दस्तावेज प्रदर्शित किये गये है फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि के प्रावधानों के विपरित जाकर पारित कर दी गई है, जो किसी भी दृष्टि से स्थिर रहने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

योग्य नहीं है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद उद्घोषणा, बंटवारा, दुरूस्ती खाता एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 194, 268, 270, 550, 552 वाके ग्राम पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिकी कर दिया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचाराधीन वाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से जरिये प्राकृतिक माता सुखी उर्फ शान्ति देवी दिनांक 17.06.2010 को प्रस्तुत किया गया था। दावा दायरी के दिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की उम्र 17 साल तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की उम्र 15 साल दावे में अंकित की गई थी। इस प्रकार स्वीकृत रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 वाद के विचारण के दौरान नाबालिग होकर बालिग हो गये थे। परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 32 सीपीसी की कोई पालना नहीं की गई।

विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन वाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से पैरवी जरिये संरक्षक ही जारी रखते हुए विधि के प्रावधानों के विपरित अपीलधीन निर्णय व डिकी पारित कर दी गई, ऐसी स्थिति में विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

विचाराधीन वाद में दिनांक 05.05.2016 को आगामी पेशी 19.07. 2016 नियत की गई थी और उस तारीख पेशी को अपीलाधीन वाद में अपीलान्ट व रेस्पोडेनट संख्या 3 व 6 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत होना

भू-प्रबंध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

था तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 9 की तामील होनी थी, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा वाद में अपनायी जाने वाली समस्त प्रकियात्मक विधि की पालन किये बिना , रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 9 की तामील करवाये बिना तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 6 की ओर से जवाब दावा लिये बिना अथवा जवाब दावा बंद किये बिना तथा पत्रावली में साक्ष्य लिये बिना ही विचाराधीन निर्णय व डिकी पारित कर विधिक त्रुटि की है।

विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय व डिकी पत्रावली में पूर्व ही निर्धारित तरीख पेशी दिनांक 19.07.2016 से पहले ही दिनांक 22.06.2016 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2016 कैम्प पाटोदा में पारित किया जाना अंकित किया है परन्तु निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व ही सुनवाई बाबत अपीलान्ट एवं उसके अधिवक्ता को सूचित नहीं किया गया।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष बंटवारे निमित भी अनुतोष चाहा गया था और बंटवारे के दावे में प्राथमिक डिकी जारी किये जाने का आज्ञापक कानूनी प्रावधन है। विचारण न्यायालय द्वारा बंटवारे के अनुतोष के बारे में कोई निर्णय पारित किये बिना ही सीधे ही अंतिम डिकी जारी की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट का जवाब दावा प्राप्त कर, तनकी कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2026 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 3/6/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार ...)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर